

डेयन ऑयल कॉर्पोरेशन लि



CIN-L 23201 MH 1959 GOI 011388

जम्मू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के लिए भृमि की आवश्यकता

निम्नलिखित स्थानो पर रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एकमुश्त बिक्री या पटटा (न्यनतम 19 वर्ष 11 माह नवीनीकरण विकल्प के साथ) के माध्यम से भूखण्ड के स्थानांतरण के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि को अपने कब्जे में भूमि का वैध एवं स्पष्ट विपणन अधिकार रखने वाली इच्छुक पार्टियों से दो अलग—अलग लिफाफों (एक लिफाफे में साइट का तकनीकी विवरण और दूसरें में वित्तीय प्रस्ताव हो) में महरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

विवर्ग और दूरार ने विरावि अस्तिव हो। ने नुहरविद अस्तिव जीनाअस विन्र जास है।				
क्र स	राज्य	स्ट्रेच	एनएच न	न्यूनतम प्लॉट एरिया परिमाप
1	जम्मू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	काजीगुंड, अनंतनाग से लसजन, श्रीनगर तक (एनएच–44 पर काजीगुंड से श्रीनगर तक दाई तरफ)	एनएच ४४ (पूर्व एनएच १४)	प्लॉट एरिया 60 मीटर
2	जम्मू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	एनएच–44 पर लखनपुर बार्डर से कुंजवानी चौक के बीच (पठानकोट से जम्मू जाते समय बाई तरफ)	एनएच 44 (पूर्व एनएच 1A)	न्यूनतम अग्रभाग के साथ न्यूनतम 1.5 एकड़ होना चाहिए तथापि उच्च
3	जम्मू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	एनएच–44 पर लखनपुर बार्डर से कुंजवानी चौक के बीच (पठानकोट से जम्मू जाते समय दाईं तरफ)	एनएच ४४ (पूर्व एनएच १४)	आकार के प्लॉट को प्राथमिकता दी जाएगी।
4	जम्मू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश	काजीगुंड एवं लसजन, श्रीनगर के बीच बाई तरफ	एनएच ४४ (पूर्व एनएच 1A)	

उपरोक्त के सदर्भ में, कृपया निम्नलिखित को नोट करें: यह विज्ञापन भूमि की अधिप्राप्ति के लिए है और किसी डीलरशिप के लिए प्रस्ताव नहीं है।

- राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित भूमि टोल ब्रिज या एनएच-एसएच-एमडीआर क्रॉसिंग से 1 किमी, के दायरे में नहीं होनी चाहिए और
- राजमार्ग पर उसी तरफ नजदीकी वर्तमान रिटेल आउटलेट से न्यूनतम 1 किमी. दूर होनी चाहिए।
- प्रस्तावित भुखण्ड का अग्रभाग राजमार्ग / मुख्य सडक से जुड़ा होना चाहिए और सडक से भुखण्ड में जाने के लिए पहुंच सडक होनी चाहिए। निविदादाता को सभी सांविधिक अदायगी जैसे शहरी भूमि सीमा, गैर-कृषि भूमि में परिवर्तन, आयकर अदायगी, गैर-ऋणग्रस्त
- प्रमाणपत्र आदि की व्यवस्था करनी होगी।
- 5. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित भुखण्ड भा.रा.रा.प्रा. की आवश्यकताओं को पुरा करता है। भिम प्रधानतः समतल होनी चाहिए, यह सडक के लेवल तक या आसपास हो एवं एक साथ सटी होनी चाहिए। 6
- प्रस्तावित भुखण्ड के ऊपर कोई उच्च वोल्टेज विद्युत लाईन/उत्पाद/पानी की लाइन/कैनाल/ड्रेनेज/नाला/सार्वजनिक
- सड़क / रेलवे लाइन आदि नहीं होने चाहिए। प्रस्तावित भखण्ड सभी ऋणभार / अतिक्रमण / धार्मिक अवसंरचना आदि से मक्त होना चाहिए। प्रस्ताव के साथ इस संबंध में नोटरी
- द्वारा विधिवत सत्यापित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि भूखंड का सम्पूर्ण भाग एक स्वामी का नहीं है तो सभी भूमि मालिक जिनके भूखण्ड एक साथ सटे हुए हैं और जो हमारी

आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह एक पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से अपना प्रस्ताव दे सकते हैं । यद्यपि, इंडियनऑयल

- केवल पॉवर ऑफ अटार्नी धारक से ही लेनदेन करेगा। प्रस्ताव के साथ प्रत्येक भूमि मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी। 10. जिला प्राधिकरण एवं अन्य सरकारी निकाय भी इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त पाये जाने पर सरकारी भूमि
- को प्राथमिकता दी जाएगी। 11. कृषि भूमि का प्रस्ताव देने वाले भिम मालिकों को इसे अपने खर्च एवं लागत पर गैर—कृषि भूमि विशेषतः रिटेल आउटलेट / बुनियादी
- स्विधाओं और अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों में प्रयोग के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करना होगा। 12. इंडियनऑयल के अनमान के अनसार, वाणिज्यिक मल्यांकन पर निम्नलिखित अतिरिक्त लागतों पर भी विचार किया जाएगा (i)
- चारदीवारी / ह्यम पाइप आदि की लागत के साथ भूमि की भराई / समेकन / कटिंग के साथ—साथ प्रस्तावित भूमि को सड़क के स्तर तक लाने के लिए उतार—चढ़ाव का विकास (ii) अन्य भौतिक मापदंड जैसे टेलीफोन/बिजली के लाइनों को स्थानांतरित करना / बिछाने की लागत। 13. दलाल / प्रोपर्टी डीलर आवेदन न करें।
- 14. इंडियनऑयल किसी भी तरह से देरी. डाक / फैक्स द्वारा भेजे गए दस्तावेज प्राप्त न होने. गम होने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- प्राप्त किए गए कोटेशन मात्र एक प्रस्ताव है जो इंडियनऑयल को किसी भी तरह बाध्य नहीं करते हैं। 15. इंडियनऑयल बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है ।
- प्रस्ताव निम्नानुसार दो निविदा प्रणाली में जमा किए जाने चाहिए:

(क) तकनीकी निविदा: तकनीकी निविदा के अंतर्गत विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तावित भखण्ड के विवरण जमा किए जाने चाहिए। तकनीकी निविदा में भूमि का किसी भी प्रकार का प्रस्तावित मुल्य / भूमि की लागत नहीं होनी चाहिए। निविदादाता को निम्नलिखित विवरण भरने होंगेः

- (i) भूमि के स्वामी(यों) का नाम
- (ii) भूखण्ड की सम्पत्ति अवस्थिति को दर्शाते विवरणों के साथ मुख्य योजन (iii) भुखण्ड की नाप के साथ बिक्री / पट्टे के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
- ... (iv) '7/12' उद्धरण या इसके समकक्ष विवरण जैसे खतोनी, जमाबदी, खसरा, गिरदवारी आदि और टाइटल डीड जैसे बिक्री डीड आदि जिसमें सत्य प्रतिलिपि के रूप में विधिवत् संलग्न / प्रमाणित भूमि का स्वामित्व दर्शाया गया हो।
- (v) पॉवर ऑफ अटार्नी धारक को पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी।

उपरोक्त दर्शाए गए दस्तावेजों / विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणी : तकनीकी निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'तकनीकी निविदा' लिखा होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदाः वित्तीय निविदा के साथ निम्नलिखि विवरण होने चाहिएः

- (i) यह प्रस्ताव बिक्री के लिए या पट्टे के लिए या बिक्री अथवा पट्टे दोनों के लिए है
- (ii) बिक्री की स्थिति में रुपए में अनुमानित बिक्री राशि
- (iii) पट्टे के मामले में, रुपए में अनुमानित पट्टा किराया प्रतिमाह और पट्टे की अवधि
- टिप्पणी : वित्तीय निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'वित्तीय निविदा' लिखा होना चाहिए।

उसके ऊपर ''.....स्थान पर भूमि का प्रस्ताव'' लिखें। इच्छुक पार्टियां नीचे दशाई गई नियत तिथि एवं समय तक या उससे पूर्व नीचे दिए गए पते पर आवेदन कर सकते हैं:

डिविजनल रिटेल सेल्स हैड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों लिफाफों को अलग—अलग मुहरबंद कर दोनों को एक तीसरे लिफाफे में रखें और उसे मृहरबंद करके

जम्मू डिविजनल कार्यालय, 22 ओ/बी रेल हैड, जेडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, जम्मू-180004

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 06.05.2022 को 1500 बजे तक है। नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। जमा किए गए प्रस्ताव नियत तिथि या आपसी सहमति से बढ़ाई गई तिथि से 150 दिनों की अवधि के लिए वैध होने चाहिए।





